

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 573 / 2013
संस्थान दिनांक 01.10.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. जुवानसिंग पिता सुभानसिंग, आयु 40 वर्ष,
2. मड़ीया पिता भुवानसिंग, आयु 60 वर्ष,
3. जगदीश पिता मदन, आयु 25 वर्ष,

सभी निवासीगण- मशानियापुरा,
ग्राम चितावल, तहसील ठीकरी,
जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.03.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 199 / 2013 अंतर्गत 294, 323, 324, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 01.10.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध दिनांक 16.09.2013 को समय शाम 6:00 बजे, ग्राम चितावल मशानियापुरा में फरियादी भावसिंग को स्वैच्छया धारदार उपकरण दाँत से काटकर उसे उपहति कारित करने तथा अभियुक्तगण जुवानसिंग एवं मड़िया के विरुद्ध फरियादी भावसिंग को धारदार उपहकरण दाँत से उपहति पहुँचाने के सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भावसिंग को धारदार उपकरण दाँत से उपहति कारित करने के संबंध में धारा 324, 324 / 23 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 18.11.2014 को फरियादी भावसिंग व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण जुवानसिंग, मड़िया एवं जगदीश को धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी भावसिंग संबंध में अभियुक्त जगदीश के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. एवं अभियुक्तगण जुवानसिंग एवं मड़िया के विरुद्ध धारा 324/34 के संबंध में किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 16.06.2013 को फरियादी भावसिंग शाम 6 बजे बट्टी की दुकान पर सामान लेने गया था, जहाँ गाँव के मड़िया और दौलत का पुराना विवाद चल रहा था, तब फरियादी वही पर था। दौलत के साथ मड़िया, जगदीश एवं जुवानसिंग विवाद कर रहे थे, जब फरियादी ने विवाद करने से मना किया तो अभियुक्तों ने फरियादी भावसिंग को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी जो सुनने में बुरी लगी थी तथा मड़िया एवं जुवानसिंग ने फरियादी को पकड़ लिया था और जगदीश ने दाँत से उसके नाम पर सीधी ओर काट लिया था। जगदीश एवं एवं भुवानसिंग ने लात-थप्पड़ से भी मारपीट की थी, फरियादी के चिल्लाने पर दौलत, बट्टी एवं गोरेलाल ने घटना में बीच-बचाव किया। पुलिस ने फरियादी भावसिंग द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 199/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपति धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 5 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 324/34 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि –

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 16.09.2013 को समय शाम 6:00 बजे, ग्राम चितावल मशानियापुरा में फरियादी भावसिंग को धारदार उपकरण दाँत से उपहति पहुँचाने के सामान्य आशय के अग्रसरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भावसिंग को धारदार उपकरण दाँत से उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में भावसिंग (अ.सा.1) एवं प्रधान आरक्षक मेहकालसिंह चौहान (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी भावसिंग अ.सा.2 का कथन है कि अभियुक्त से उसका विवाद हुआ था, विवाद के दौरान गिरने से उसे नाक पर पत्थर लगने से चोट आई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी, जो प्रदर्शपी 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्रदर्शपी 1 का घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया था तथा अभियुक्त जगदीश ने उसे नाक पर दाँत से काटकर उसे स्वैच्छडया उपहति कारित की थी। यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 6 के पुलिस कथन में भी उक्त बात लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तों से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह राजीनामा हो जाने से असत्य कथन कर रहा है।

8. दौलत अ.सा.3 ने भी अभियुक्तों द्वारा भावसिंग को दाँत से काटकर उसे उपहति कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये किये हैं तथा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 7 के कथन में भी उक्त बातें बताने से स्पष्ट इंकार किया है।

9. प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह चौहान अ.सा. 1 ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 199/13 की विवेचना के दौरान प्रदर्शपी 1 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने, तथा साक्षियों एवं फरियादी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में साक्ष्य दी है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी एवं साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे या उसने असत्य अनुसंधान किया है।

10. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने अभियुक्तों से राजीनामा होने के कारण अभियुक्तों द्वारा दौत से कांटने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तो अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. के विरुद्ध 324/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324/34 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

